

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 855/2014

संस्थित दि: 17/09/2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

कैलाश मरकाम पिता रामप्रसाद, उम्र 28 साल, जाति अहिर,  
निवासी बेलापाट थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 30/09/2014 को उपार्पित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी तुलाराम ने आरक्षी केन्द्र गढ़ी में दिनांक 23.05.2014 को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 16.05.2014 को वह रायपुर में था शनिवार को उसके भाई शंकरलाल ने मोबाइल फोन से बताया कि उसकी लड़की सुमन्त्रा उम्र 17 वर्ष सुबह के करीब 03:00 बजे से घर पर नहीं है तब वह रायपुर से उसके घर बेलापाट 18.05.2014 को आया तथा घर पर पत्नी आशाबाई से पूछा तो आशाबाई ने उसे बताया कि सुमन्त्रा 16-17 तारीख की रात में 03:00 बजे घर से बिना बताये कहीं जली गई तब उसने उसके आसपास के रिश्तेदारों के यहां पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 46/14 अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि बेलापाट गांव का कैलाश सुमन्त्रा को जबदस्ती अपने साथ रायपुर ले गया तथा शादी का प्रलोभन देकर सुमन्त्रा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये। जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 376, 506 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(04) उर्पापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 363, 376, 506 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजी गई है।

(09) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 14.10.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट